प्रकाशन हेतु अनुमोदित

2011: CGHC:10966

उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़,

पीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 969/ 1993

रामरतन एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ

हस्ता/-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु तिथि:

01/04/2011 को सूचीबद्ध करें

हस्ता/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 969, / 1993

अपीलार्थीगण: - 1. रामरतन, आत्मज महाजन कंवर, आयु 26 वर्ष

2. शिव राम, आत्मज हुबलाल, आयु 30 वर्ष

3. मुन्ना उर्फ हरिश्चंद्र, आत्मज नंदकिशोर, आयु 26 वर्ष

सभी निवासी ग्राम कुनिया कला, पुलिस थाना अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (मध्य प्रदेश - वर्तमान छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी/प्रत्यर्थी:- मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता)

उपस्थिति:

- अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से श्री रूप नायक, अधिवक्ता।
- अपीलार्थी क्रमांक 3 की ओर से श्रीमती अंजू आहूजा, अधिवक्ता।
- राज्य की ओर से श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

निर्णय

(01.04.2011)

सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश द्वारा निम्नानुसार न्यायालय का निर्णय उदघोषित किया गया:-

(1) यह अपील सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 2/91 में पारित निर्णय दिनांक 12 अगस्त, 1993 के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (दो गणनाओं में) आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 5,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, उन्हें 6-6 माह के अतिरिक्त सक्षम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

(2) मामले के तथ्य, संक्षिप्त में, निम्नानुसार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दो मृतक व्यक्ति, भास्कर और धनेश्वर, सगे भाई थे। उनके अन्य भाई भुनेश्वर प्रसाद (अभियोजन साक्षी-11), जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17), सुखसागर (अभियोजन साक्षी-13) और पन्नालाल (अभियोजन साक्षी-14) हैं। वे सभी ग्राम कुनिया कला के निवासी थे। दिनांक 27.8.90 को, आरोपी रामरतन (अ-1) की दो भैंसों ने जुगेश्वर प्रसाद (अभियोजन साक्षी-17) की मूंगफली की फसल चर ली थी। इस संबंध में एक पंचायत बुलाई गई, लेकिन रामरतन (अ-1) पंचायत में उपस्थित नहीं हुआ। अगले दिन अर्थात 28.8.90 को, जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) ने रामरतन (अ-1) को तब पकड़ा जब वह जंगल से लौट रहा था। उनके बीच झगड़ा हुआ और रामरतन (अ-1) ने जुगेश्वर पर 'डंडे' से हमला किया, जिससे उसे कई चोटें आईं। रामरतन (अ-1) को भी चोटें आईं। जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) और उसका भाई भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11) पुलिस थाना अम्बिकापुर गए और शाम लगभग 5.30 बजे इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1970 (प्रदर्श पी/10) में लेखबद्ध किया गया।

अन्य दो भाई, धनेश्वर और भास्कर (मृतकगण) भी अपनी साइकिलों से अम्बिकापुर आए और जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) से मिले। जुगेश्वर का चिकित्सीय (डॉक्टरी) परीक्षण कराया गया। इन सबके बाद, रात में चारों भाई अपने गाँव लौट रहे थे। मृतक धनेश्वर और भास्कर साइकिलों पर थे, जबकि जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) और भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11) मोपेड पर थे। वे दोनों साइकिल सवार मृतकों के पीछे चल रहे थे। आरोप है कि रात लगभग 9.00 बजे जब वे गाँव के रास्ते में थे, आरोपी व्यक्ति वहां आए; उनके पास लाठियां थीं।

उन्होंने मृतक धनेश्वर और भास्कर पर लाठियों और चाकू से हमला किया, जिन्होंने उन चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन का प्रकरण यह है कि दो गवाहों, भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11) और जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) ने लूना की हेड-लाइट और अपने पास मौजूद टॉर्च की रोशनी में घटना को देखा। यह सब देखकर वे डर गए और अम्बिकापुर की ओर लौट आए। जब अभियुक्त घटनास्थल से चले गए, तो वे गाँव गए और अपने भाइयों सुखसागर (अभियोजन साक्षी-13) और पन्नालाल (अभियोजन साक्षी-14) को पूरी कहानी सुनाई। अगले दिन अर्थात 29.8.90 को वे थाना अम्बिकापुर पहुंचे और भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11) ने सुबह 8.05 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श P/13) दर्ज कराई। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को सूचना दी और मृतकों के शवों का पंचनामा (मृत्यु समीक्षा) - प्रदर्श पी /01 एवं पी/02) तैयार किया। शवों को पोस्टमार्टम(शवविच्छेदन) के लिए शासकीय अस्पताल, अम्बिकापुर भेजा गया। पोस्टमार्टम (शवविच्छेदन) परीक्षण डॉ. नरेंद्र शर्मा (अभियोजन साक्षी-12) द्वारा किया गया। उन्होंने मृतक धनेश्वर प्रसाद के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी-

1. दाहिने कंधे पर नील 15 सेमी x 3.5 सेमी
2. बाएं ललाट और कनपटी क्षेत्र पर कई विदरित घाव जबड़ों पर कई विदरित घाव थे जिनमें अस्थि-भंग थे
3. सिर के मध्य में 7 सेमी x 2 सेमी का कटा हुआ घाव

4. बाएं गाल पर 2.5 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव
5. ठुड्डी पर 1 सेमी x ½ सेमी के 3 कटे हुए घाव
6. दाहिने कान के बाहरी हिस्से पर 1.5 सेमी का कटा हुआ घाव
7. दाहिनी भौंह पर 2.5 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव
8. ऊपरी जबड़े के 5 दांत गायब थे, मसूड़ों में खून के थक्के मौजूद थे, जबड़े पर अस्थि-भंग दिखाई दे रहा था
9. खोपड़ी के दाहिने हिस्से पर एक लंबा अस्थि-भंग) था, जो धंसा हुआ था; धंसाव मस्तिष्क तक चला गया था, मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा दबा हुआ था और मस्तिष्क की झिल्ली फट गई थी
10. दाहिनी 'रेडियो अल्ना' हड्डी विसंधान थी।

शव-परीक्षक की राय थी कि मृत्यु का कारण कोमा, मस्तिष्क का फटना और अत्यधिक रक्तस्राव था। यह प्रकृति में मानव वध था। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श P/14 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतक भास्कर के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:- (i) दाहिने 'टेम्पोरो-पैरिएटल' क्षेत्र पर विदरित घाव जो मस्तिष्क तक गहरा था; (ii) दाहिनी 'टेम्पोरो-पैरिएटल' हड्डी पर कई अस्थि-भंग थे और हड्डी के कई टुकड़े मस्तिष्क में घुस गए थे। मस्तिष्क की झिल्ली फट गई थी और मस्तिष्क पर खून के थक्कों के साथ विदरन था।

शव-परीक्षक की राय थी कि मृत्यु का कारण मस्तिष्क फटने के कारण कोमा और मृतक को आई उपरोक्त चोटें थीं, और यह प्रकृति में मानव वध था। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी/15-अ है।

आगे की विवेचना में, हल्का पटवारी - परमात्मा पांडे (अभियोजन साक्षी-3) द्वारा नजरी नक्शा (प्रदर्श पी /3) तैयार किया गया। अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उनके मेमोरेंडम(ज्ञापन) कथन (प्रदर्श पी /21, पी /22 एवं पी /23) दर्ज किए गए और अभियुक्तों के बताने पर

जब्ती पत्रक प्रदर्श पी/24, पी/25 एवं पी/26 के माध्यम से 'डंडे' और 'बाहिंगा' (कंधे पर फसल ढोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बांस की छड़ी) जब्त किए गए।

सामान्य विवेचना पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बिकापुर के न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, अम्बिकापुर को उपांतरित कर दिया, जहाँ विचारण संपन्न हुआ और अपीलार्थीगण दोषसिद्ध किए गए और उपरोक्तानुसार दंडित किए गए।

(3) अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11) और जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) के चक्षुदर्शी साक्षी के कथन पर आधारित है।

(4) अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि उपरोक्त 2 चक्षुदर्शी साक्षी और समर्थक गवाह–सुखसागर (अभियोजन साक्षी-13) तथा पन्नालाल (अभियोजन साक्षी-14)—मृतक व्यक्तियों के सगे भाई हैं, इसलिए वे "हितबद्ध साक्षी" हैं और सत्र न्यायालय ने उनके साक्ष्यों पर विश्वास कर त्रुटि कारित की है हम विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। (नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 ए.आई.आर एस.सी.डब्ल्यू 1835) के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक या अपराध के पीड़ित के रिश्तेदार होने मात्र से किसी गवाह को "हितबद्ध" की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। "हितबद्ध" शब्द यह पूर्वकल्पना करता है कि गवाह का अभियुक्त को किसी भी तरह दोषसिद्ध कराने में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'हित' है, जो कि शत्रुता या किसी अन्य परोक्ष उद्देश्य के कारण हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि एक निकट संबंधी को "हितबद्ध" साक्षी नहीं माना जा सकता। वह एक "स्वाभाविक" साक्षी है। हालाँकि, उसके साक्ष्य का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि ऐसे परीक्षण पर उसका साक्ष्य मूल रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभाव्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और पूरी तरह से भरोसेमंद पाया जाता है, तो दोषसिद्धि केवल ऐसे साक्षी के "एकमात्र" बयान के आधार पर हो सकती है। साक्षी का मृतक या पीड़ित के साथ निकट संबंध उसके साक्ष्य को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का निकट संबंधी सामान्यतः वास्तविक अपराधी को छोड़ने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने में अत्यधिक संकोच करेगा।

(5) **धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध अपीलें, (2010) 7 एस.सी.सी 759** के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने पुनः यह दोहराया है कि ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य घटना के सच्चे साक्षी नहीं हो सकते और वे न्यायालय के समक्ष सदैव झूठी गवाही देंगे। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक का निकट संबंधी होना, स्वतः उसे एक "हितबद्ध साक्षी" नहीं बनाता है। एक हितबद्ध साक्षी वह होता है जो प्रतिशोध या शत्रुता के कारण अथवा विवादों के कारण किसी व्यक्ति को **दोषसिद्ध** कराने में रुचि रखता है और न्यायालय के समक्ष केवल उसी मंशा से गवाही देता है, न कि न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए। तथापि, हितबद्ध साक्षी के वृत्तांत को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे स्वीकार करने से पूर्व सावधानीपूर्वक उसकी जांच की जानी चाहिए। जब उनके कथनों की संपुष्टि अन्य साक्षियों, विशेषज्ञ साक्ष्य और प्रकरण की परिस्थितियों से होती है, जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करने वाली साक्ष्य की कड़ियाँ पूरी करते हैं, तो तथाकथित "हितबद्ध साक्षियों" के कथनों पर न्यायालय द्वारा विश्वास किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) उच्चतम न्यायालय ने बार-बार कहा है कि रिश्तेदारी किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि एक रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को छुपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाएगा। यदि झूठे फँसाने का तर्क दिया जाता है, तो उसका आधार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों में, न्यायालय को एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या वह ठोस और विश्वसनीय है।

(7) अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तत्पश्चात यह तर्क दिया कि दोनों चक्षुदर्शी साक्षीगणों ने घटना को नहीं देखा था और उन्हें अपने 2 भाइयों की हत्या के बारे में अगली सुबह पता चला। हम उपरोक्त तर्कों का परीक्षण 2 चक्षुदर्शी साक्षीगणों के साक्ष्य के आलोक में

करेंगे। भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11) ने बयान दिया कि जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) के उपचार के बाद, उन्होंने अपने 2 भाइयों को साइकिल पर इस निर्देश के साथ भेजा कि वे 'करजी होटल' के पास मिलें। वे रात लगभग 8.00 बजे अम्बिकापुर से निकले। जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) अपनी लूना-मोपेड पर उनके साथ जा रहा था। सभी भाई करजी होटल में मिले। तत्पश्चात, वह और जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) अपनी लूना-मोपेड पर उनके पीछे-पीछे चले। जैसे ही वे 'घुनघुट्टा घाट' के पास पहुँचे, लूना उनका भार नहीं सह सकी, इसलिए उन्हें नीचे उतरना पड़ा। जब उन्होंने घाट की चढ़ाई पार की, तो उन्हें "बचाओ-बचाओ" जैसी आवाज सुनाई दी। इस पर उन्होंने लूना चालू की और लूना की हेड-लाइट तथा टॉर्च की रोशनी में देखा कि रामरतन, मुन्ना उर्फ हरिश्चंद्र और शिव (सभी अपीलार्थीगण) मृतक धनेश्वर पर लाठियों से हमला कर रहे थे। अपीलार्थी शिव, भास्कर का पीछा कर रहा था और धनेश्वर पर मुन्ना और रामरतन द्वारा हमला किया जा रहा था। वे चाकू भी लिए हुए थे। यह सब देखकर, वे अपनी लूना पर अम्बिकापुर की ओर लौट आए और 'लिब्रामाओड' पर रुक गए। उन्होंने खुद को एक टीले के पीछे छिपा लिया। वे वहाँ लगभग एक घंटे तक रहे। इस दौरान अभियुक्त व्यक्ति टीले की ओर से गुजरे और अम्बिकापुर की ओर चले गए। इसके बाद वे तुरंत अपने घर चले गए। घर लौटते समय उन्होंने देखा कि धनेश्वर सड़क के किनारे मृत अवस्था में पड़ा था। अपने गाँव पहुँचने के बाद, उन्होंने उपरोक्त तथ्यों का खुलासा सुखसागर (अभियोजन साक्षी-13), नागेश्वरी बाई (माता), हीरासाय- सरपंच और कोटवार- सोमारसाय के समक्ष किया। सुबह वे पुनः घटनास्थल की ओर लौटे और पाया कि उनके भाइयों के शव सड़क के पास पड़े थे। उन्हें कई चोटें आई थीं। प्रकरण की सूचना पुलिस को दी गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-P/13) दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) ने भी इसी प्रकार बयान दिया। उसने यह भी दावा किया कि उसने मोपेड की हेड-लाइट और टॉर्च की रोशनी में अपीलार्थीगण को मृतक व्यक्तियों पर हमला करते देखा था। उसने बयान दिया कि रामरतन, मुन्ना उर्फ हरिश्चंद्र और शिव राम, इन तीनों ने पहले धनेश्वर पर हमला किया। तत्पश्चात, भास्कर गिर गया और उन्होंने उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया। वे डर गए थे, इसलिए वे अम्बिकापुर की ओर लौट आए।

(9) जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि मोपेड से उतरने के बाद, वे मोपेड को धक्का देकर ले जा रहे थे। घटना के समय, वे मोपेड को धक्का दे रहे थे और मोपेड का इंजन चालू स्थिति में नहीं था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि जब मोपेड का

इंजन चालू स्थिति में नहीं होगा, तो हेड-लाइट नहीं जलेगी। **यह अभिलिखित किया जाना आवश्यक है कि** पुलिस द्वारा न तो मोपेड और न ही टॉर्च को जब्त किया गया, जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि मोपेड की हेडलाइट समुचित रूप से कार्यरत थी अथवा नहीं तथा कथित रूप से गवाहों के पास उपलब्ध टॉर्च में पर्याप्त बैटरी बैक-अप था या नहीं।

(10) परमात्मा पांडे (अभियोजन साक्षी-3) हल्का पटवारी थे, जिन्होंने नजरी नक्शा (प्रदर्श-पी/3) तैयार किया था। यह नक्शा चक्षुदर्शी साक्षी के निर्देश पर तैयार किया गया था। उन्होंने कंडिका-5 में बयान दिया कि उन 2 स्थानों के बीच की दूरी, जहाँ मृतक धनेश्वर का शव पड़ा था और वह स्थान जहाँ से चक्षुदर्शी साक्षी ने मोपेड की रोशनी और टॉर्च की रोशनी में घटना को देखा था, 83 मीटर थी। हमें इस बात पर संदेह है कि एक अंधेरी रात में कोई व्यक्ति 83 मीटर की दूरी से मोपेड और टॉर्च की रोशनी में घटना को देखने में सक्षम होगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि न तो मोपेड और न ही टॉर्च को जब्त किया गया था। इसलिए, इन 2 साक्षियों का मोपेड और टॉर्च की रोशनी की उपलब्धता का दावा अपरीक्षित ही रह जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) इन्द्रदेव (अभियोजन साक्षी-8) ने बयान दिया कि मृतक धनेश्वर ग्रामीण रिश्ते में उनका साला था। वह ग्राम नवानगर का निवासी था जो कुनिया कला के पास का गाँव है। वह घटनास्थल से साइकिलों और प्लास्टिक की चप्पलों आदि की जब्ती का गवाह था। उसने बयान दिया कि अगली सुबह लगभग 6.30-6.45 बजे, पन्नालाल (अभियोजन साक्षी-14), भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11), जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) और एक हलवाहा उसके घर आए। पन्नालाल ने कहा कि "भास्कर और धनेश्वर (2 मृतक व्यक्ति) रात में घर नहीं लौटे हैं। चलिए हम चलकर उन्हें खोजते हैं"। वह अपने घर से बाहर आया। वह पन्नालाल (अभियोजन साक्षी-14) के साथ गया। भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11) और जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) ने खोज की और ग्राम दरिमा की ओर गए। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला, जिसने उन्हें बताया कि सड़क के किनारे एक शव पड़ा है। तत्पश्चात, वे उस स्थान की ओर गए और पाया कि दो मृतकों के शव सड़क के पास पड़े थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे, भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11), जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17) और पन्नालाल (अभियोजन साक्षी-14) के साथ पुलिस थाना अम्बिकापुर गए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-17 में स्वीकार किया है कि सुबह के समय वह इन्द्रदेव (अभियोजन साक्षी-8) से मिला था। वह मृतक धनेश्वर का साला था। वे सभी घटनास्थल पर गए थे। उनका हलवाहा, जिसका नाम बन्नू था, भी उनके साथ था। वे

घटना के बारे में सूचित करने के लिए इन्द्रदेव के घर गए थे। भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11) द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका -19 में की गई स्वीकारोक्तियों ने अभियोजन के उस मामले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है कि घटना को रात में उपरोक्त दो चश्मदीद गवाहों द्वारा देखा गया था। उसने कंडिका-19 में स्वीकार किया कि "यह सच है कि वह स्वयं, उसका भाई जुगेश्वर (अभियोजन साक्षी-17), इन्द्रदेव (अभियोजन साक्षी-8) और बन्नू, सभी अपने भाइयों की तलाश में दरिमा की ओर आ रहे थे"। यदि उन्होंने रात में ही घटना को देख लिया था, तो सुबह के समय भाइयों की इस प्रकार तलाश करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(12) रामकुमार (अभियोजन साक्षी-5) इन्द्रदेव (अभियोजन साक्षी-8) के बड़े भाई हैं। उन्होंने भी कंडिका-5 में बयान दिया कि सुबह पन्नालाल आदि उनके घर आए थे और इन्द्रदेव (अभियोजन साक्षी-8) को उनके भाइयों की तलाश के लिए साथ ले गए थे। बाद में उन्हें पता चला कि धनेश्वर की हत्या कर दी गई है। यह दर्शाता है कि दोनों चक्षुदर्शीसाक्षी सुबह इन्द्रदेव (अभियोजन साक्षी-8) के घर गए थे और उन्होंने अपने भाइयों की तलाश के लिए अनुरोध किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) उपरोक्त के अलावा, दोनों चक्षुदर्शीसाक्षी का आचरण भी संदेहास्पद है। जब वे जानते थे कि उनके भाइयों के शव एक सुनसान जगह पर सड़क पर पड़े हैं, तो उन्होंने रात में शवों की सुरक्षा के लिए प्रबंध किए होते या यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया होता कि शवों को जानवरों या कुत्तों आदि द्वारा नुकसान न पहुँचाया जाए। न तो चक्षुदर्शी साक्षी ने और न ही अन्य दो भाइयों, सुखसागर (अभियोजन साक्षी-13) और पन्नालाल (अभियोजन साक्षी-14) ने रात में घटनास्थल पर वापस आने का कोई प्रयास किया। यहाँ तक कि उन्होंने गाँव में कोई शोर-शराबा भी नहीं किया। चक्षुदर्शी साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त व्यक्ति अम्बिकापुर की ओर चले गए थे, इसलिए भयभीत रहने का कोई कारण नहीं था। सामान्य मानवीय आचरण के अनुसार, उपरोक्त चक्षुदर्शी साक्षी और अन्य भाइयों को रात में शवों की निगरानी के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की।

(14) हमने यह भी पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अगली सुबह दर्ज की गई थी। यदि घटना रात लगभग 10.00-11.00 बजे देखी गई थी और जैसा कि दावा किया गया है कि गवाहों ने अपने गाँव जाकर अन्य भाइयों और कुछ अन्य ग्रामीणों को कहानी सुना दी थी, तो वे रात में ही रिपोर्ट दर्ज कराने चले गए होते। यह उनका स्वयं का प्रकरण था कि उनके परिवार में एक लूना मोपेड थी। इसलिए, उनके लिए रात में ही पुलिस थाने जाना कठिन नहीं था। जब हम इन्द्रदेव

(अभियोजन साक्षी-8) और रामकुमार (अभियोजन साक्षी-5) के साक्ष्य के आलोक में देरी का परीक्षण करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त साक्षियों को मृतक व्यक्तियों की हत्या के बारे में सुबह पता चला और उसके बाद ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

(15) चक्षुदर्शी साक्षी और पटवारी के साक्ष्य में यह भी सामने आता है कि घटनास्थल पूरी तरह से सुनसान नहीं था, और उरांव-बस्ती घटनास्थल से 8-10 'जरीब' की दूरी पर थी। लिब्रा गाँव भी उक्त स्थान से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा घटना देखते समय घटनास्थल पर कोई शोर-शराबा नहीं किया गया और यहाँ तक कि वे सहायता के लिए उपरोक्त नजदीकी स्थानों पर भी नहीं गए। यह सब उपरोक्त दो चक्षुदर्शी गवाहों के साक्ष्यों पर संदेह पैदा करता है। बन्नू का परीक्षण 'बचाव साक्षी' (बचाव साक्षी-1) के रूप में किया गया है। उसने भी बयान दिया था कि वे सुबह के समय मृतक व्यक्तियों की तलाश कर रहे थे। उसकी उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11), इन्द्रदेव (अभियोजन साक्षी-8) और रामकुमार (अभियोजन साक्षी-5) सभी ने स्वीकार किया है कि बन्नू सुबह उनके साथ था। उसके प्रतिपरीक्षण में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन में, हमारा यह मत है कि घटनास्थल पर दोनों चक्षुदर्शी गवाहों की उपस्थिति अत्यंत संदिग्ध थी; उनके साक्ष्य पूरी तरह विश्वसनीय नहीं थे; उनका आचरण संदेहास्पद था और अभियोजन का पूरा मामला भुनेश्वर (अभियोजन साक्षी-11) की उस स्वीकारोक्ति से ध्वस्त हो गया जिसमें उसने स्वीकार किया कि सुबह के समय वे इन्द्रदेव (अभियोजन साक्षी-8) और बन्नू (बचाव साक्षी-1) के साथ अपने भाइयों की तलाश कर रहे थे। अतः, हम चक्षुदर्शी साक्षियों, जो कि मृतकों के सगे भाई थे, के साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थीगण की **दोषसिद्धि** को बनाए रखने में असमर्थ हैं।

(17) उपरोक्त कारणों से, यह **अपील स्वीकार की जाती है**। अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (दो गणनाओं में) के तहत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। उन्हें उन पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 को दिनांक 28-08-1990 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दिनांक 21-01-2003 को जमानत प्रदान की गई तथा यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हों तो तत्काल रिहा किए जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी क्रमांक 3 को दिनांक 29-08-1990 को गिरफ्तार किया गया था तथा उन्हें दिनांक 16-04-2002 को जमानत पर रिहा किया गया। वर्तमान में

वह जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतदार को दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

हस्ता/-

(सुनील कुमार सिन्हा) न्यायाधीश

हस्ता/-

(मुख्य न्यायाधिपति)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By- अजय कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता